न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 766/2023
अनवान : –

1. गणपतराम पुत्र सोहनाराम जाति मेघवाल निवासी रायपुरिया तहसील व जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र सोहनाराम जाति मेघवाल निवासी रायपुरिया तहसील व जिला चुरू।
2. सरोज पुत्री सोहनाराम जाति मेघवाल निवासी रायपुरिया तहसील व जिला चुरू।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 262/278 के ख0न0 980 की 10.4970 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से सोहनाराम उर्फ मोहनाराम पुत्र बचनाराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोहनराम पुत्र बचनाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मोहनराम उर्फ सोहनाराम पुत्र बचनाराम का देहान्त हो चुका है मोहनराम उर्फ सोहनाराम पुत्र बचनाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो मोहनराम उर्फ सोहनाराम पुत्र बचनाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है उसकी शादी हो चुकी है प्रतिवादीया स0 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम जमाबंदी में सहवन से मोहनाराम नाम दर्ज है जबकि वास्तविक नाम सोहनाराम है। इसलिए नाम गलत दर्ज होने के कारण विरासतन नामान्तरण दर्ज होने मे परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 262/278 के ख0न0 980 की 10.4970 हैक्ट भूमि में मृतक मोहनराम उर्फ सोहनाराम पुत्र बचनाराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आज[illegible] करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है प्रतिवादीगण की पहचान श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–2079 रोही मौजा ढाणी रायकान खाता संख्या 262/278, मृत्यु प्रमाण पत्र सोहनाराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य, वादी के पिता के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत रायपुरिया पंचायत समिति चुरू द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र, वादी के पिता सोहनाराम उर्फ मोहनाराम के नाम के संबध में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता सोहनाराम उर्फ मोहनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है तथा वादी के पिता के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत रायपुरिया पंचायत समिति चुरू द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार वादी के पिता का नाम सोहनलाल व मोहनराम एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 262/278 [illegible] हेक्ट भूमि में संयुक्त रूप से सोहनाराम उर्फ मोहनाराम पुत्र बचनाराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है, वादी का कथन है कि वादी के पिता सोहनाराम उर्फ मोहनाराम पुत्र बचनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम जमाबंदी में सहवन से मोहनराम दर्ज हो गया है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम सोहनाराम है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा वादी के पिता के नाम के संबंध में तस्दीक प्रमाण पत्र एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर वादी के पिता का नाम सोहनाराम उर्फ मोहनाराम होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा सोहनाराम उर्फ मोहनाराम पुत्र बचनाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 262/278 के ख0न0 980 की 10.4970 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से मोहनाराम पुत्र बचनाराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मोहनाराम पुत्र बचनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 766/2023

अनवान : –

1. गणपतराम पुत्र सोहनाराम जाति मेघवाल निवासी रायपुरिया तहसील व जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र सोहनाराम जाति मेघवाल निवासी रायपुरिया तहसील व जिला चुरू।
2. सरोज पुत्री सोहनाराम जाति मेघवाल निवासी रायपुरिया तहसील व जिला चुरू।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 766 सन 2023 निर्णय दिनांक 02/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 262/278 के ख0न0 980 की 10.4970 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से मोहनाराम पुत्र बचनाराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मोहनाराम पुत्र बचनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested